

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद बनाम मुकेश

नम्बर व तारीख  
अदालत जो इस  
हुक्म की तारीख  
से जारी हुए

19.12.23  
तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हाजा

क्र. नं. - 156/2023

19.12.23

हमफिता प्रकरण संख्या 155/2023 (BT NO. 2023/280) उनवान प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगैरह का निस्तारण किये जाने व निर्णय की एक प्रति शामिल पत्रावली किये जाने से प्रकरण हाजा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

  
(दिलीप सिंह) 19/12/23

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)  
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
155/2023	2023/280	18.09.2023	19.12.2023 (अंतिम चिक्री)

उनवान प्रकरण

1. प्रहलाद पुत्र बिखाराम आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र अर्जुनलाल आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. जगमालसिंह पुत्र गौरुराम आयु 52 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी खैरवान तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. सुरज कौर पत्नि रामावतार आयु 46 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।
4. गुलाब देवी पत्नि प्रहलाद आयु 46 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : —

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री विनोद कुमार सैनी एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

श्री श्रवण कुमार यादव एड0 प्रतिवादी संख्या 4 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-5 की ओर से।



वादपत्र बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

*P. Singh*  
19/12/23  
दिलीप सिंह  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

# (द्वितीय प्रकरण)

प्रकरण संख्या  
156 / 2023

जीसीएमएस  
2023 / 281

दायर दिनांक  
18.09.2023

निर्णय दिनांक  
19.12.2023 (अन्तिम डिक्री)

## उनवान प्रकरण

1. प्रहलाद पुत्र भीखाराम जाति माली आयु 60 साल निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

## बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र अर्जुनलाल आयु .... साल जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. जगमालसिंह पुत्र गौरुराम आयु ..... साल जाति जाट निवासी ढाणी खैरवान तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. गुलाब देवी पत्नि प्रहलाद आयु .... साल जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
4. उप पंजियक उप तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
5. पटवारी हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : —

श्री अनिल यादव, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री विनोद कुमार सैनी एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

श्री श्रवण कुमार यादव एड0 प्रतिवादी संख्या 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-6 की ओर से।

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)



*Parloe*  
दिलीप सिंह  
सहायक कलेक्टर (काश्त ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (निम्नकाश्त)

—:: निर्णय ::—

नोट :- इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रथम दृष्टया मुकदमा संख्या 19/2017 बी0टी0नं0 550/17 पुनःदर्ज संख्या 155/2023 उनवानी प्रकरण प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगै0 द्वितीय मुकदमा संख्या 111/2021 पुनः दर्ज संख्या 156/2023 उनवानी प्रकरण प्रहलाद बनाम मुकेश वगै0, दोनों प्रकरण एक ही वादग्रस्त आराजी भूमियां अवस्थित तन ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर से संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को न्यायालय आदेश दिनांक 13.04.2022 को कन्सोलिडेटेड संयोजित किया जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियां में संलग्न की जावें।

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.42 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसके 1121/1800 दर हिस्सा 3/7 की खातेदारी वादी के नाम एवं 53/105 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम व 1/15 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम दर्ज 579/1800 दर हिस्सा 3/7 में से 578.02 वर्गमीटर भूमि को प्रतिवादी नम्बर 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत चले आ रहे हैं। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शों में दर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काशत हैं। इसी अनुसार पक्षकारान ने अपने-अपने हक हिस्से एवं बंटवारे में आयी हुयी भूमियों पर पक्षकारान अलग-अलग दर्शित नजरी नक्शे अनुसार काबिज काशत है। वादी के बंटवारे में आयी हुयी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही है। शेष भूमि पर प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत हैं। उक्त अनुसार



*[Signature]*  
दिलीप सिंह 11/4/21  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकावाणा)

पक्षकारान के हिस्से व बंटवारे के अनुसार अलग-अलग बट्टा नम्बर डालकर खातेदारी का अंकन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादी के हिस्से व बंटवारे की भूमि का अलग से बंटवारा नहीं होने से वादी को सख्त हकतल्फी हैं। इस कारण बंटवारा अनुसार वादी के नाम अलग खातेदारी का अंकन किया जाना न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे या वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काशत एवं उपयोग-उपभोग में मजाहमत पैदा कर देंगे तो वादी के हक हकूक गंभीर रूप से जाहिल होंगे। इस कारण वादी, प्रतिवादीगण को इस हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं। न्यायहित में इस हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का अलग-अलग बंटवारा करवाने के लिए कहां तो पूर्व में हां करते रहे और आश्वासन देते रहे कि उक्तानुसार बंटवारा करा लेंगे परन्तु दिनांक 05.08.2016 को इस बाबत कहां तो स्पष्ट इंकार हो गये तथा भूमि का बिना बंटवारा कराये ही दीगर व्यक्तियों को भूमि का बेचान करने की स्पष्ट धमकी दी जाने पर वादकारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं। इस कारण न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। उक्त भूमियों का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। कानूनी बंटवारा करवाना वादी का अधिकार है। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। दावा वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सैनी एड0 व प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावे पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 की सम्मन तामिल हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई



*[Signature]*  
**दिलीप सिंह**  
 अधिवक्ता कलक्टर (फारम) श्रीमाधोपुर (निमकायान)

गई। प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने से वकील वादी ने प्रकरण में वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुये प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति व्यक्त की। उक्त प्रकरण वादी/प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काशत के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 21.09.2022 प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा पूर्व से नियत तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 10.08.2023 को प्रार्थना पत्र मिशाल तलबी व प्रार्थना पत्र विद्वा बाबत वादपत्र का पेश होकर स्वीकार होने पर दिनांक 10.08.2023 को वादपत्र विद्वा किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सैनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(क) सीपीसी व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपटित धारा 151 सीपीसी का पेश होकर स्वीकार होने पर मूल वादपत्र मुकदमा संख्या 550/2017 उनवानी प्रकरण प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगै० व वादपत्र संख्या 111/2021 उनवानी प्रकरण प्रहलाद बनाम मुकेश वगै० को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये गये एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वादी की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर वादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में पूर्व में चाही गई प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1541 दिनांक 25.08.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर



न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रतिवादी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2070-2073 के अनुसार ग्राम थोई के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.42 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना प्रकट होता है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से क्रय किया जाना प्रकट होता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील प्रतिवादी ने अपनी सहमति प्रकट की है। दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद वकील प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार



*Parlo*  
विलीप सिंह  
सहायक कलेक्टर (प्लस्ट टैक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकल्याण)

स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् बंटवारा/तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को वकील प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-



खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत	खं० नं०	रकबा (है०)	किस्म
गुलाबीदेवी पत्नि प्रहलाद हिस्सा 193/1400 जाति माली सा. देह खातेदार, जगमालसिंह पुत्र गोरुराम हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी ढाणी खैरवान तन झाड़ली खातेदार, प्रहलाद पुत्र भीखाराम हिस्सा 407/1400 जाति माली सा. देह खातेदार, मुकेश कुमार पुत्र अर्जुनलाल हिस्सा 53/105 जाति माली सा. देह खातेदार	811	0.42	ढहरी 2
योग	किता-1	0.42	

*Signature*  
19/12/23  
विलीब सिंह  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (निष्काशक)

बीके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :-

खातेदार का नाम मय वलियदत	खं नं०	रकबा (है०)	किस्म
मुकेश कुमार पुत्र अर्जुनलाल हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	811/2	0.2120	ढहरी 2
गुलाबीदेवी पत्नि प्रहलाद हिस्सा 578/2080 जाति माली सा. देह खातेदार,	811/1	0.2080	ढहरी 2
जगमालसिंह पुत्र गोरुराम हिस्सा 7/52 जाति जाट निवासी दाणी खैरवान तन झाड़ली खातेदार, प्रहलाद पुत्र भीखाराम हिस्सा 1221/2080 जाति माली सा. देह खातेदार			
योग	किता-2	0.42	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (मू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक मू.अ./23/1541 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



*(Signature)*  
19/12/23  
विश्वीष सिंह  
सहायक कमिश्नर (मैजिस्ट्रेट) ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
19/12/23  
विश्वीष सिंह  
सहायक कमिश्नर (मैजिस्ट्रेट) ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर